Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

मार्च (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024 3
- हरियाणा ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया 3
- अमिताभ ढिल्लों हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख होंगे 4
- अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 5
- फसल क्षति दावों के लिये क्षतिपूर्ति पोर्टल 7
- हरियाणा सरकार ने 113 परियोजनाओं को स्वीकृति दी 7
- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नूंह के लिये विकास परियोजनाओं की घोषणा की 8
- हरियाणा ने पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के नए सिरे से परिसीमन का प्रस्ताव रखा 9
- हरियाणा की पहली 'ड्रोन दीदी' 11
- प्रधानमंत्री ने हरियाणा में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया 12
- नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री 12
- कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम 13
- कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय ने राजीब गोयल पुरस्कारों की घोषणा की 15
- रोगजनकों के लिये भोजन का परीक्षण करने हेतु लैब नेटवर्क 15
- 'विवादों का समाधान' पहल के तहत एकमुश्त निपटान योजनाएँ 16
- ICAR ने कृषि विज्ञान केंद्रों की स्वर्ण जयंती मनाई 17
- असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड हेतु निर्देश 18
- विश्व कबड्डी दिवस 18
- पलवल: बाल जन्म लिंगानुपात में शीर्ष स्थान 19
- 'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर' का कॉपीराइट 20
- हरियाणा ने PM कुसुम के तहत 24,484 सौर जल पंपों के लिये विजेताओं की घोषणा की 21
- विभिन्न राज्यों के लिये मनरेगा मज़दूरी दरें संशोधित 21
- GST चोरी: 19,690 करोड़ रुपए के फर्ज़ी क्रेडिट दावे 22

नोट :

हरियाणा

हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने वार्षिक गीता जयंती महोत्सव के आयोजन और भगवद गीता की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने तथा प्रसारित करने के लिये एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने हेतु 'हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024' पारित किया।

मुख्य बिंदु:

- महोत्सव के दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और लोग स्थानीय लोगों के साथ उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं। वर्तमान में, गीता जयंती महोत्सव के आयोजन के लिये राज्य में कोई स्वतंत्र प्राधिकरण/निकाय नहीं है।
- विधेयक के अनुसार, प्राधिकरण का मुख्य कार्य श्रीमद्भगवद गीता की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना और प्रसारित करना होगा साथ ही सांस्कृतिक व शैक्षिक सेमिनार, कार्यशालाएँ, मेले, प्रदर्शनियाँ तथा सम्मेलन आयोजित करना होगा।
- प्राधिकरण में सदस्य होंगे, जिनमें अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री शामिल होंगे। राज्य सरकार द्वारा नामित एक उपाध्यक्ष होगा, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा।
- गीता जयंती महोत्सव वर्षों से मनाया जाता रहा है और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड (KDB) इस कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है।
  - KDB पहले की तरह कार्य करेगा। लेकिन एक नई अथॉरिटी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेगी कि इस उत्सव को वैश्विक स्तर पर कैसे आगे बढ़ाया जाए और भगवत गीता के संदेश को पूरे विश्व तक कैसे पहुँचाया जाए।

गीता जयंती महोत्सव

- गीता महोत्सव का उत्सव लोगों में नैतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान लाता है।
- गीता जयंती का उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को भगवद गीता की अमर और अमूर्त विरासत- दिव्य गीत से अवगत कराना है।
- हरियाणा सरकार वर्ष 1989 से कुरुक्षेत्र शहर में KDB के सहयोग से गीता महोत्सव का उत्सव मना रही है।

हरियाणा ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा पंजीकरण एवं निजी कोचिंग संस्थानों के विनियमन विधेयक, हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण एवं विनियमन) विधेयक और हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी विधेयक के साथ-साथ अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया।

मुख्य बिंदु:

- हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स बिल के प्रावधानों के अनुसार, जो कोई भी मानव तस्करी का प्रयास करेगा या इसमें शामिल पाया जाएगा या जाली दस्तावेज़ तैयार करने में शामिल पाया जाएगा, उसे कम-से-कम तीन वर्ष की कैद की सज़ा दी जाएगी लेकिन जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 2-5 लाख रुपए के बीच जुर्माना भी देना होगा।

नोट :

- राज्य विधानसभा ने हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 भी पारित किया।
  - विधेयक के प्रावधानों के तहत, प्रस्तावित कानून का उल्लंघन करने वाला एक निजी कोचिंग ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिये उत्तरदायी होगा, जिसमें पहले उल्लंघन के लिये 25,000 रुपए और बाद के उल्लंघन के लिये 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा और यदि उल्लंघन फिर भी जारी रहता है तो निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।'
  - 'निजी कोचिंग संस्थान' का अर्थ है एक ही परिसर में एक संस्थान जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय, कंपनी, समाज या ट्रस्ट द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित एक ट्यूशन सेंटर शामिल है जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिये अध्ययन कार्यक्रम प्रदान करता है लेकिन इसमें प्रति दिन 50 छात्रों तक की व्यक्तिगत होम ट्यूशन शामिल नहीं है।
- सदन ने राज्य और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर नियामक निकाय स्थापित करके खेल संघों के कामकाज के पंजीकरण एवं विनियमन की निगरानी के लिये हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण एवं विनियमन) विधेयक, 2024 भी पारित किया।
- हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2024 भी पारित किया गया, जिसके अनुसार हिसार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का तेज़ी से विकास और आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में इसके उद्भव ने शहरी प्रशासन, बुनियादी ढाँचे की कमी, विकेंद्रीकृत निर्णय लेने तथा स्वतंत्र रूप से बनाई गई टाउनशिप में चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं जिन्हें नज़रअंदाज़ करने पर हिसार के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता एवं खुशहाली पर असर पड़ सकता है।

अमिताभ ढिल्लों हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख होंगे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने वर्ष 1997 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, अमिताभ सिंह ढिल्लों को हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) के रूप में नियुक्त किया।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 1997 बैच के एक अन्य अधिकारी संजय कुमार को ममता सिंह की जगह ADGP, कानून और व्यवस्था के रूप में तैनात किया गया था।
- राज्यपाल के ऐड-डि-कैंप (ADC), अर्श वर्मा को महेंद्रगढ़ के पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया था, जबकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (SP), यमुनानगर, हिमाद्री कौशिक को पुलिस उपायुक्त (DCP), पंचकुला के रूप में तैनात किया गया था।
- वर्ष 1991-बैच के अधिकारी, आलोक रॉय को पुलिस महानिदेशक (DGP), मानव संसाधन (HR) और मुकदमेबाज़ी के रूप में तैनात किया गया था, जबकि उनके बैचमेट, संजीव जैन को DGP, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के रूप में तैनात किया गया था।
- DCP, बल्लभगढ़, राजेश दुग्गल को गुरुग्राम के संयुक्त पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात किया गया।

ऐड-डि-कैंप

- 'ऐड-डि-कैंप' की उपाधि सशस्त्र बलों में एक अधिकारी को दी जाती है, जो उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी की सहायता करता है।
- ADC वे अधिकारी होते हैं जो सेना प्रमुख, सेना कमांडरों, राज्यपालों और भारत के राष्ट्रपति सहित शीर्ष अधिकारियों के निजी सहायक के रूप में कार्य करते हैं।
- भारत के राष्ट्रपति के पास पाँच ऐड-डि-कैंप होते हैं, जिनमें से तीन सेना से और एक-एक नौसेना तथा वायु सेना से होते हैं।
- राज्य के राज्यपाल के दो ऐड-डि-कैंप होते हैं, एक सेना/नौसेना/वायु सेना से आता है और दूसरा राज्य के पुलिस बल से आता है।
- एक ADC के पास सशस्त्र बलों में पाँच से सात वर्ष का अनुभव होना चाहिये। उनका चयन उनके पेशेवर प्रदर्शन और साक्षात्कार के आधार पर किया गया है।

नोट :

अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने राज्य के सात ज़िलों में पहाड़ियों के निम्निकृति क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने हेतु अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के लिये अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है ताकि पर्वत शृंखला के साथ निरंतर पारिस्थितिक अवरोध उत्पन्न किया जा सके।

मुख्य बिंदु:

- यह परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ग्रीन वॉल परियोजना का हिस्सा है।
  - पहले चरण में गुड़गाँव, फरीदाबाद नूंह,, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी की अरावली में 66 जल निकाय विकसित किये जाएंगे।
- यह परियोजना अफ्रीका की 'ग्रेट ग्रीन वॉल' परियोजना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य उन पहाड़ियों पर हरित आवरण को बहाल करना है जो थार से दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत तक रेगिस्तान जैसी स्थितियों के विस्तार को रोकने वाली एकमात्र बाधा है।
  - लक्ष्य वर्ष 2027 तक चार राज्यों हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में लगभग 1.15 मिलियन हेक्टेयर वनों को बहाल करना है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8.2% पिछले कुछ वर्षों में और अधिक शुष्क हो गया है।
- परियोजना का ज़ोर मृदा संरक्षण, अपरदन नियंत्रण तथा बेहतर जल प्रतिधारण तंत्र पर है जो जल चक्र को स्थिर करने, मृदा क्षरण को कम करने और सूखे एवं बाढ़ के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ मज़बूती प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
- पारिस्थितिकीविदों और वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, अरावली में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन्हें जंगल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, लेकिन वे अभी भी पौधों तथा वन्यजीवों की समृद्ध जैवविविधता का निवास स्थान हैं। इन हरे-भरे स्थानों के संरक्षण के लिये योजनाएँ बनाने की अवश्यकता है।

अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल (GGW)

- इसका उद्देश्य अफ्रीका की निम्नीकृत भूमि का पुनर्निर्माण करना तथा विश्व के सर्वाधिक गरीब क्षेत्र, साहेल (Sahel) में निवास करने वाले लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाना है।

नोट :

- अफ्रीकी पहल अभी भी केवल 15% ही पूरी हुई है।
- योजना के पूर्ण हो जाने पर यह वॉल पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना होगी - महाद्वीप की पूरी चौड़ाई में फैला हुआ विश्व का 8,000 किमी लंबा प्राकृतिक आश्चर्य।
- संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन, कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़- 14 (UN Convention to Combat Desertification- UNCCCD, COP14) के दौरान अफ्रीकी देशों ने वर्ष 2030 तक महाद्वीप के साहेल क्षेत्र में योजना को लागू करने हेतु वित्त के संदर्भ में वैश्विक समर्थन की मांग की थी।
  - साहेल पश्चिमी और उत्तर-मध्य अफ्रीका का एक अर्ध-शुष्क क्षेत्र (Semiarid Region) है जो पूर्व सेनेगल (Senegal) से सूडान (Sudan) तक फैला हुआ है।
  - यह उत्तर में शुष्क सहाराई रेगिस्तान तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र का निर्माण करता है।

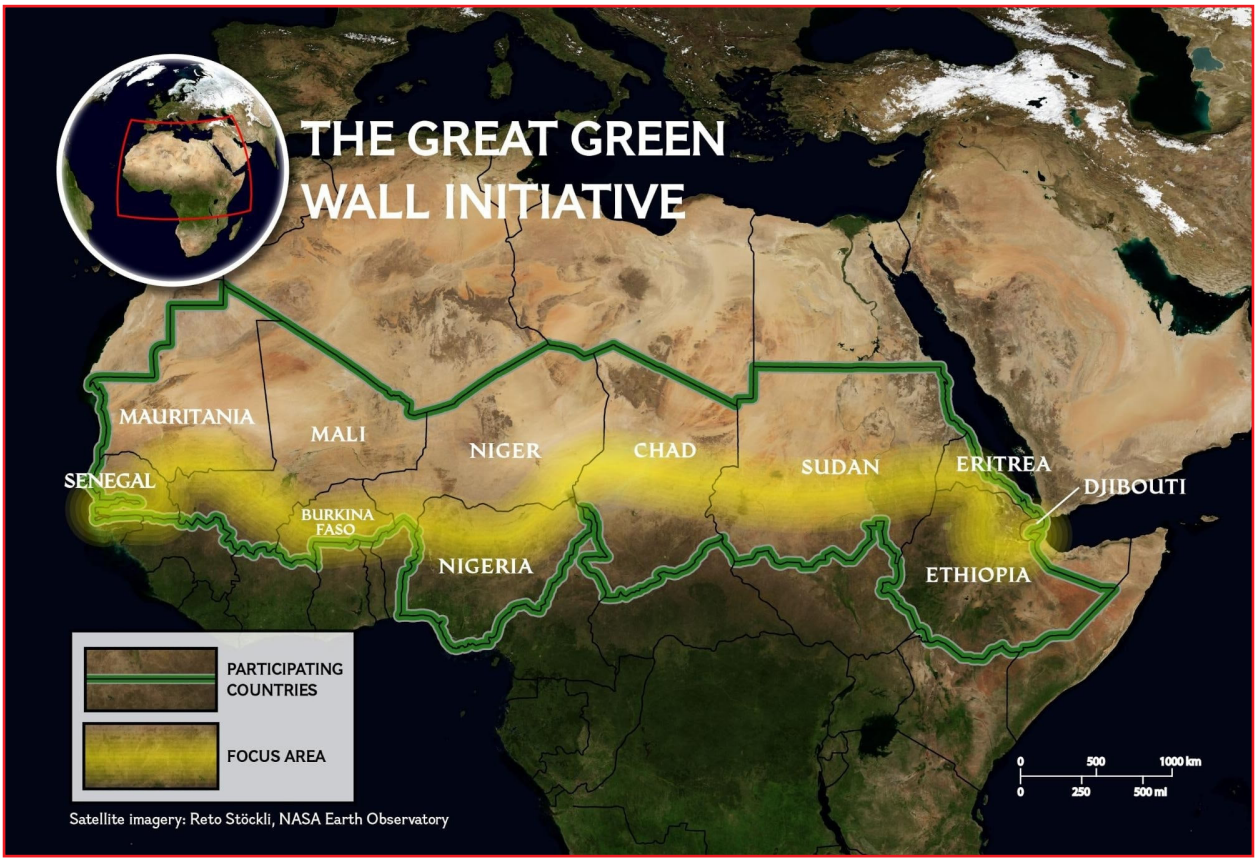

अरावली पर्वत श्रृंखला

- अरावली, पृथ्वी पर सबसे पुराना वलित पर्वत है।
- यह गुजरात से दिल्ली (राजस्थान और हरियाणा के माध्यम से) तक 800 किमी. से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।
- अरावली श्रृंखला की सबसे ऊँची चोटी माउंट आबू पर गुरु पीक है।
- जलवायु पर प्रभाव:
  - अरावली का उत्तर-पश्चिमी भारत और उससे आगे की जलवायु पर प्रभाव है।
  - मानसून के दौरान पर्वत श्रृंखला धीरे-धीरे मानसूनी बादलों को शिमला और नैनीताल की तरफ पूर्व की ओर ले जाती है, इस प्रकार यह उप-हिमालयी नदियों का पोषण करने तथा उत्तर भारतीय मैदानों को उर्वरता प्रदान करने में मदद करती है।
  - सर्दियों के महीनों में यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों (सिंधु और गंगा) को मध्य एशिया से ठंडी पश्चिमी हवाओं के हमले से बचाती है।

नोट :

फसल क्षति दावों के लिये क्षतिपूर्ति पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने सभी ज़िलों के किसानों के लिये क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है ताकि वे अपनी फसलों को हुई हानि की सीमा का विवरण देते हुए अपनी रिपोर्ट जमा कर सकें।

मुख्य बिंदु:

- मुआवज़े के संबंध में निर्देश इस प्रकार हैं:
  - बाढ़ से मृत्यु होने पर परिजनों को प्रति केस चार लाख रुपए दिये जाएँगे।
  - जो पक्के या कच्चे घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 1.20 लाख रुपए से लेकर 1.30 लाख रुपए तक मुआवज़ा दिया जाएगा।
  - बाढ़ से घायल या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को 16 हज़ार रुपए दिये जाएंगे। यदि अवधि एक सप्ताह से कम है तो 5400 रुपए दिये जाएँगे।
    - यह राशि उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड नहीं है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)

- PM-JAY पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- फरवरी 2018 में लॉन्च हुई यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ-साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
  - स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा एवं दैनिक उपचार, दवाओं की लागत और निदान शामिल हैं।
- **लाभ:**
  - यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
    - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बचे हुए (अप्रामाणित) SECC परिवारों के खिलाफ टैगिंग के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है।
- वित्तीयन:
  - इस योजना का वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं विधायिका के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड के लिये 90:10 और विधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषण।
- **नोडल एजेंसी:**
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।
  - राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) राज्य में ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है।

हरियाणा सरकार ने 113 परियोजनाओं को स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण संवर्धन और महाग्राम योजना के तहत ₹121 करोड़ से अधिक की 113 नई परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- इन्हें यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, फरीदाबाद, झज्जर, भिवानी और दादरी ज़िलों में लागू किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इन परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
- महाग्राम योजना के तहत दो परियोजनाओं, ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत 108 परियोजनाओं और सीवरेज तथा स्वच्छता के तहत तीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।
  - स्वीकृत परियोजनाएँ जल आपूर्ति योजना, सीवरेज सुविधा और सीवेज उपचार संयंत्र के विस्तार, नई ज़िला स्तरीय अपशिष्ट जल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नई जल आपूर्ति लाइनें बिछाने से संबंधित हैं।

ग्रामीण संवर्धन एवं महाग्राम योजना

- यह योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में विकास एवं पंचायत विभाग के माध्यम से शुरू की गई थी।
- इसमें सीवरेज प्रणाली, पेयजल आपूर्ति में सुधार, पक्की सड़कों का निर्माण, विद्युत में सुधार आदि की परिकल्पना की गई है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नूंह के लिये विकास परियोजनाओं की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह ज़िले के लिये लगभग 700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि "आधुनिक शिक्षा अपनाने वाले" सभी गुरुकुलों और मदरसों को हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ पंजीकरण कराने पर वित्तीय सहायता मिलेगी।
  - हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आधुनिक शिक्षा का विकल्प चुनने वाले गुरुकुलों और मदरसों को 50-80 बच्चों के लिये प्रति वर्ष 2 लाख रुपए, 81-100 बच्चों के लिये 3 लाख रुपए, 101-200 बच्चों के लिये 5 लाख रुपए तथा 200 से अधिक नामांकन के लिये 7 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे।
- नूंह में शहीद राजा हसन खान मेवाती के सम्मान में आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह के दौरान यह घोषणा की गई।
  - उन्होंने शहीद राजा हसन खान के शहादत दिवस पर गवर्नमेंट कॉलेज नगीना में उनकी 15 फुट ऊँची प्रतिमा का अनावरण भी किया।
- मुख्यमंत्री ने वस्तुत: हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (HKRN) के तहत शिक्षण पदों के लिये 1,504 स्थानीय युवाओं को नौकरी के प्रस्ताव दिये।
- उन्होंने विकास परियोजनाओं की देखरेख के लिये पूर्व विधायक और राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में शहीद हसन खान मेवाती के नाम पर पाँच सदस्यीय समिति के गठन की भी घोषणा की।

राजा हसन खान मेवाती

- यह मेवात का मुस्लिम खानजादा राजपूत शासक था।
- पिछले शासक राजा अलावल खान के पुत्र, उनके वंश ने लगभग 200 वर्षों तक मेवात राज्य पर शासन किया था।
- यह राजा नाहर खान मेवाती के वंशज थे, जो 14वीं शताब्दी में मेवात के वली थे।

हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड

- इसे 13 अक्तूबर, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया है।
- इसकी स्थापना हरियाणा में सभी सरकारी संस्थाओं को पारदर्शी, मज़बूत और न्यायसंगत तरीके से संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
- यह हरियाणा में संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के लिये अधिकृत एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
- हरियाणा कौशल रोज़गार निगम, संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में, निम्नलिखित
- **ध्यान केंद्रित करेगा:**

नोट :

- सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों का उत्थान करना
- तैनात जनशक्ति को वेतन और लाभ के समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करना
- राज्य आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित करना

सेंट्रल वक्फ काउंसिल

- यह वक्फ अधिनियम, 1995 की एक उपधारा, वक्फ अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक भारतीय वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज और देश में वक्फों के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी।
- वक्फ परोपकारियों द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये चल या अचल संपत्तियों का एक स्थायी समर्पण है।

हरियाणा ने पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के नए सिरे से परिसीमन का प्रस्ताव रखा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास के 1,000 मीटर के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन के रूप में चित्रित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- हरियाणा की ओर पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को चित्रित करने वाली अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिये प्रस्ताव जनवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को भेजा गया था।
- 25.98 वर्ग किमी. (लगभग 6420 एकड़) में फैला सुखना वन्यजीव अभयारण्य, केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसकी सीमाएँ हरियाणा तथा पंजाब से लगती हैं।
  - संरक्षित क्षेत्र, विविध वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध होने के कारण, इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतिक विशेषताएँ शामिल हैं तथा इसे वर्ष 1988 में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।
- MoEFCC को भेजे गए मसौदा प्रस्ताव के अनुसार:
  - प्रस्तावित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 2,460 हेक्टेयर (लगभग 6,078 एकड़) होगा।
  - 10 गाँव - प्रेमपुरा, सुखोमाजरी, दामला, लोहगढ़, मानकपुर ठाकरदास, सूरजपुर, चंडीमंदिर कोटला, दर्रा खरौनी, रामपुर और साकेत्री/महादेवपुर प्रस्तावित ईएसजेड के अंतर्गत आते हैं।
  - राज्य सरकार ने ESZ को चार क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया है:
    - ज़ोन 1 की सीमा सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर होगी।
    - ज़ोन 2 संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 100 मीटर से 300 मीटर तक होगा।
    - ज़ोन 3 में संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 300-700 मीटर के दायरे में आने वाला क्षेत्र शामिल होगा।
    - संरक्षित क्षेत्र में सीमा से 700 से 1,000 मीटर तक का शेष क्षेत्र ज़ोन 4 में होगा।
  - इसके आवास के संरक्षण के लिये निर्धारित गतिविधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियाँ निषिद्ध हैं।
  - संवेदनशील क्षेत्र सदमे अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं और संरक्षित क्षेत्र को निकटवर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों के संभावित प्रतिकूल प्रभाव से बचाते हैं।
- संशोधित मसौदे में राज्य सरकार ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के इस सुझाव को भी शामिल किया है कि इको सेंसिटिव ज़ोन को आरक्षित वन सीमा तक बढ़ाया जाए।

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (2002-2016) में निर्धारित किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किमी. के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव ज़ोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करना चाहिये।

नोट :

- हालाँकि 10 किलोमीटर के नियम को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया गया है, इसके क्रियान्वयन की सीमा अलग-अलग हो सकती है। पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण एवं विस्तृत क्षेत्रों, जो 10 किमी. से परे हों, को केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

सुखना वन्यजीव अभयारण्य

- यह चंडीगढ़ में स्थित है।
- यह शिवालिक पहाड़ियों में पड़ने वाले सुखना झील जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है।
- **जीव-जंतु:** सांभर हिरण, बार्किंग हिरण और जंगली सूअर, साथ ही पक्षियों, सरीसृपों एवं उभयचरों की कई प्रजातियाँ।
- **वनस्पति:** अभयारण्य की विशेषता वनों, घास के मैदानों और आर्द्रभूमियों का मिश्रण है, जिसमें सुखना झील पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

नोट :

हरियाणा की पहली 'ड्रोन दीदी'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शर्मिला और हिमांशी, हरियाणा की पहली 'ड्रोन दीदी' बनी हैं। वे कृषि में अपने योगदान के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाते हुए अन्य महिलाओं और लड़कियों को प्रेरित करते हैं।

मुख्य बिंदु:

- विकसित भारत संकल्प यात्रा की महिला लाभार्थियों के साथ बातचीत के बाद 30 नवंबर, 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा ड्रोन दीदी पहल शुरू की गई थी।
- इसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उद्देश्यों के लिये किसानों को किराए पर देने हेतु ड्रोन प्रदान करना है।
  - पहल के तहत महिला लाभार्थियों को ड्रोन पायलट बनने के लिये प्रशिक्षित किया जाता है।
  - प्रशिक्षित महिला ड्रोन पायलट किसानों को उर्वरक छिड़काव, बीज बोने और फसल की निगरानी जैसे विभिन्न कृषि कार्यों में सहायता करेंगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को अपने कौशल का उपयोग करके आय उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी।
  - इस पहल का उद्देश्य भारतीय कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाना और ग्रामीण महिलाओं को अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराकर उत्पादकता बढ़ाना है।
- यह योजना 15,000 महिला SHG को कवर करेगी, जिन्हें केंद्र की दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत गठित 89 लाख SHG में से पहचाना जाएगा और उन्हें एक स्थायी व्यवसाय मॉडल तथा आजीविका सहायता प्रदान की जाएगी।
- केंद्र प्रत्येक SHG को ड्रोन की लागत के लिये 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक सब्सिडी प्रदान करेगा। इससे उन्हें प्रति व्यक्ति लगभग 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है।

स्वयं सहायता समूह (SHG)

- स्वयं सहायता समूह (SHG) कुछ ऐसे लोगों का एक अनौपचारिक संघ होता है जो अपने रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिये स्वेच्छा से एक साथ आते हैं।
- भारत में SHG की उत्पत्ति का पता वर्ष 1970 में स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA) के गठन से लगाया जा सकता है।
- वर्ष 1992 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा शुरू की गई SHG बैंक लिंकेज परियोजना विश्व की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस परियोजना बन गई है।
- नाबार्ड ने RBI के साथ मिलकर वर्ष 1993 से SHG को बैंकों में बचत खाता रखने की अनुमति दी। इस कार्रवाई से SHG को काफी बढ़ावा मिला और SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- वर्ष 1999 में, भारत सरकार ने SHG के गठन और कौशल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (SGSY) की शुरुआत की।
- यह कार्यक्रम वर्ष 2011 में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित हुआ और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) विश्व का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बन गया।
- आज, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) 29 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में चालू हैं।
- NRLM ने गरीबों को वित्तीय साक्षरता, बैंक खाता, बचत, ऋण, बीमा, प्रेषण, पेंशन और वित्तीय सेवाओं पर परामर्श जैसी किफायती लागत प्रभावी विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच की सुविधा प्रदान की।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

- यह वर्ष 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा शुरू किया गया एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है।
- मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिये कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका वृद्धि तथा वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके।

नोट :

- यह सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर समुदायों को लक्षित करने तथा उनके वित्तीय समावेशन पर विशेष ज़ोर देता है।
- यह पंचायती राज संस्थानों (PRI) और समुदाय आधारित संगठनों (CBO) के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद कामकाजी संबंधों व परामर्श हेतु औपचारिक मंच प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ने हरियाणा में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के पहले 8-लेन खंड के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- 4,100 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ यह नवनिर्मित 19 किमी. लंबा हिस्सा, राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)- 48 पर यातायात प्रवाह को बढ़ाने तथा भीड़भाड़ को कम करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
  - उद्घाटन खंड में दिल्ली-हरियाणा सीमा से बसई रेल-ओवर-ब्रिज (ROB) तक 10.2 किमी. की दूरी और बसई ROB से खेड़की दौला तक 8.7 किमी. का अतिरिक्त खंड शामिल है।
- यह सड़क मार्ग दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे और गुरुग्राम बाईपास के बीच सीधा लिंक स्थापित करता है।
- द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में मुख्य बातें:
  - 9,000 करोड़ रुपए के बजट से डिज़ाइन किया गया द्वारका एक्सप्रेसवे चार भागों में विभाजित है।
  - गुरुग्राम में तीसरा और चौथा खंड है, जो लगभग 19 किमी. को कवर करता है, जबकि पहले दो खंड, कुल 10 किमी. दिल्ली में स्थित हैं।
  - यह पूरी तरह से एक्सेस-नियंत्रित ग्रेड-पृथक 14-लेन एक्सप्रेसवे के रूप में खड़ा है, जो देश में एक अग्रणी पहल का प्रतीक है।
  - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार पूरी परियोजना अगस्त 2024 तक समाप्त होने वाली है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)

- NHAI की स्थापना NHAI अधिनियम, 1988 के तहत की गई थी। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) के साथ-साथ विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिये अन्य छोटी परियोजनाओं को सौंपा गया है।
  - राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) भारत में प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर पर उन्नत, पुनर्व्यवस्थित और चौड़ा करने की एक परियोजना है। यह परियोजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी।
- NHAI का प्रमुख दृष्टिकोण वैश्विक मानकों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की व्यवस्था एवं अनुरक्षण के लिये राष्ट्र की आवश्यकता तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित महत्त्वपूर्ण नीतिगत ढाँचे के अंतर्गत अत्यंत समयबद्ध व लागत प्रभावी तरीके से प्रयोक्तता की आशाओं को पूरा करना और इस तरह लोगों की आर्थिक समृद्धि एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है।

नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मनोहर लाल और उनके मंत्रिपरिषद के इस्तीफा देने के बाद नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) तथा जननायक जनता पार्टी (JJP) का तनावपूर्ण सत्तारूढ़ गठबंधन टूट गया था।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- नये मुख्यमंत्री ने एक निर्दलीय समेत पाँच विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया।
- राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इन सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
- विधायकों में कंवर पाल, मूल चंद, बनवारी लाल, जय प्रकाश दलाल (सभी भाजपा से) और रणजीत सिंह (निर्दलीय) शामिल हैं।

गठबंधन सरकार

- 'गठबंधन' शब्द लैटिन भाषा के 'कोएलिटियो (Coalitio)' से लिया गया है जिसका अर्थ है– 'एक साथ बढ़ना'।
- इस प्रकार, तकनीकी रूप से, गठबंधन का अर्थ भागों को एक शरीर या संपूर्ण में एकजुट करने का कार्य है। राजनीतिक दृष्टि से गठबंधन का अर्थ विभिन्न राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है।
- गठबंधन सामान्यत: आधुनिक संसदों में तब होता है जब कोई भी राजनीतिक दल बहुमत हासिल नहीं कर पाता।
- दो या दो से अधिक पार्टियाँ, जिनके पास बहुमत बनाने के लिये पर्याप्त निर्वाचित सदस्य हैं, तब एक सामान्य कार्यक्रम पर सहमत होने में सक्षम हो सकती हैं, जिसमें उनकी व्यक्तिगत नीतियों के साथ बहुत अधिक कठोर समझौते की आवश्यकता नहीं होती है और वे सरकार बनाने के लिये आगे बढ़ सकते हैं।

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (KU) के कुलपति ने KU में मिशन LiFE अभियान के तहत मैराथन, जागरूकता सह प्रदर्शनी और विस्तार व्याख्यान का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- इस अवसर पर कुलपति ने इको क्लब की गतिविधियों का भी विधिवत उद्घाटन किया और सभी को मिशन LiFE की शपथ दिलाई।
- मिशन LiFE भारत को आत्मनिर्भर और प्रकृति के करीब बनाने हेतु एक जन आंदोलन साबित हो रहा है।
  - वर्ष 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से विश्व को पर्यावरण जीवनशैली का मंत्र दिया।
- कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पर्यावरण संबंधी जानकारी, जागरूकता, क्षमता निर्माण तथा आजीविका कार्यक्रम (EIACP) के सहयोग से वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भारत एवं KU के संयुक्त तत्त्वावधान में किया गया था।
- आगे छात्र अर्थ ऑवर कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और विश्व अभियान का हिस्सा बनेंगे।
  - अर्थ ऑवर WWF की वार्षिक पहल है जो वर्ष 2007 में शुरू हुई थी।
  - यह 180 से अधिक देशों के लोगों को अपने स्थानीय समय के अनुसार रात 8.30 बजे से 9.30 बजे तक लाइट बंद करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF)

- यह विश्व का अग्रणी संरक्षण संगठन है और 100 से अधिक देशों में कार्य करता है।
- यह वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है।
- इसका मिशन प्रकृति के संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन की विविधता के लिये सबसे अधिक दबाव वाले खतरों को कम करना।

पर्यावरण संबंधी जानकारी, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम (EIACP)

- EIACP प्रोग्राम सेंटर रिसोर्स पार्टनर "वन्यजीव और संरक्षित क्षेत्र", भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून जिसे पहले ENVIS के नाम से जाना जाता था, सितंबर 1997 में भारत में 23वें पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS) केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था।
- कार्यक्रम केंद्र अपने निर्दिष्ट विषय क्षेत्र पर सभी सूचनाओं, प्रकाशनों और अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों का भंडार है; डेटाबेस बनाए रखना; पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार जन जागरूकता अभियान तथा कार्यक्रमों सहित पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का संचालन करना।

नोट :

मिशन LiFE: लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट (P3 मॉडल यानी Pro Planet People को प्रोत्साहन)

परिचय

- इस विचार/अवधारणा को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) के दौरान प्रस्तुत पेश किया गया था।
  - ✶ **LiFE वैश्विक आंदोलन** विश्व भर के शिक्षाविदों, शोधकर्त्ताओं और स्टार्ट-अप्स को उन तरीकों पर विचार करने हेतु आमंत्रित करता है जिनसे पर्यावरण संकट का समाधान करने के लिये सामूहिक कार्रवाई की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है।
- **मिशन LiFE (पर्यावरण के लिये जीवन शैली)** की शुरुआत गुजरात के केवड़िया (जहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है) से की गई है।
- **वर्ष 2022-28 की अवधि** में पर्यावरण संरक्षण के लिये व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई हेतु कम-से-कम एक बिलियन भारतीयों तथा अन्य वैश्विक नागरिकों को जुटाना।
  - ✶ भारत में ही सभी गाँवों और शहरी स्थानीय निकायों में से कम-से-कम 80% लोगों को वर्ष 2028 तक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **नीति आयोग द्वारा संचालित तथा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित।**

UNEP के अनुसार, यदि विश्व भर में 8 बिलियन में से 1 बिलियन व्यक्ति भी अपने **दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को अपना लें तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 20% है तक की कमी हो सकती है।**

दृष्टिकोण

- **व्यक्तिगत व्यवहार पर केंद्रित**
- **विश्व स्तर पर सह-निर्माण**
- **स्थानीय संस्कृतियों का लाभ उठाना**

भारत द्वारा स्थापित उदाहरण

- **स्वच्छ भारत मिशन (SBM)** के क्रियान्वयन से 7 वर्षों की अवधि के भीतर ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का उपयोग किया गया।
- **उज्ज्वला योजना** के चलते वर्ष 2021 में LPG कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या 99.8% तक पहुँच गई जो कि वर्ष 2015 में 62% थी ।
- विद्युत की खपत को कम करने वाले अनुकूली वास्तुशिल्प रूप जैसी पारंपरिक भारतीय प्रथाएँ और पादप आधारित खाद्य पदार्थ तथा कदन्न/मोटे अनाज (Millets) के लिये आहार वरीयता LiFE के लिये आधार के रूप में काम कर सकती हैं।

नोट :

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय ने राजीब गोयल पुरस्कारों की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की गोयल पुरस्कार समिति ने युवा वैज्ञानिकों के लिये राजीब गोयल पुरस्कार की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- इस पुरस्कार में एक पदक, प्रशस्ति-पत्र और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है जिसके लिये 45 वर्ष से कम आयु के देश के चार वैज्ञानिकों को युवा वैज्ञानिक श्रेणी में चुना गया है।
- प्राप्तकर्त्ता हैं:
  - डॉ. सप्तर्षि बसु, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, बेंगलुरु, (एप्लाइड साइंसेज)।
  - डॉ सेबेस्टियन सी. पीटर, JNCASR, बेंगलुरु, (रासायनिक विज्ञान)।
  - डॉ. बुशरा अतीक, जैविक विज्ञान और बायोइंजीनियरिंग विभाग, IIT कानपुर (जीवन विज्ञान)।
  - डॉ. संजीव कुमार अग्रवाल, भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर, (भौतिक विज्ञान)।
- इन पुरस्कारों के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए सम्मानित करता है।

रोगजनकों के लिये भोजन का परीक्षण करने हेतु लैब नेटवर्क

चर्चा में क्यों ?

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण देश भर में 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है जो एस्चेरिचिया कोलाई (E. Coli), सैल्मोनेला और लिस्टेरिया सहित 10 रोगजनकों के लिये खाद्य उत्पादों का परीक्षण करने हेतु सुसज्जित होगा।

मुख्य बिंदु:

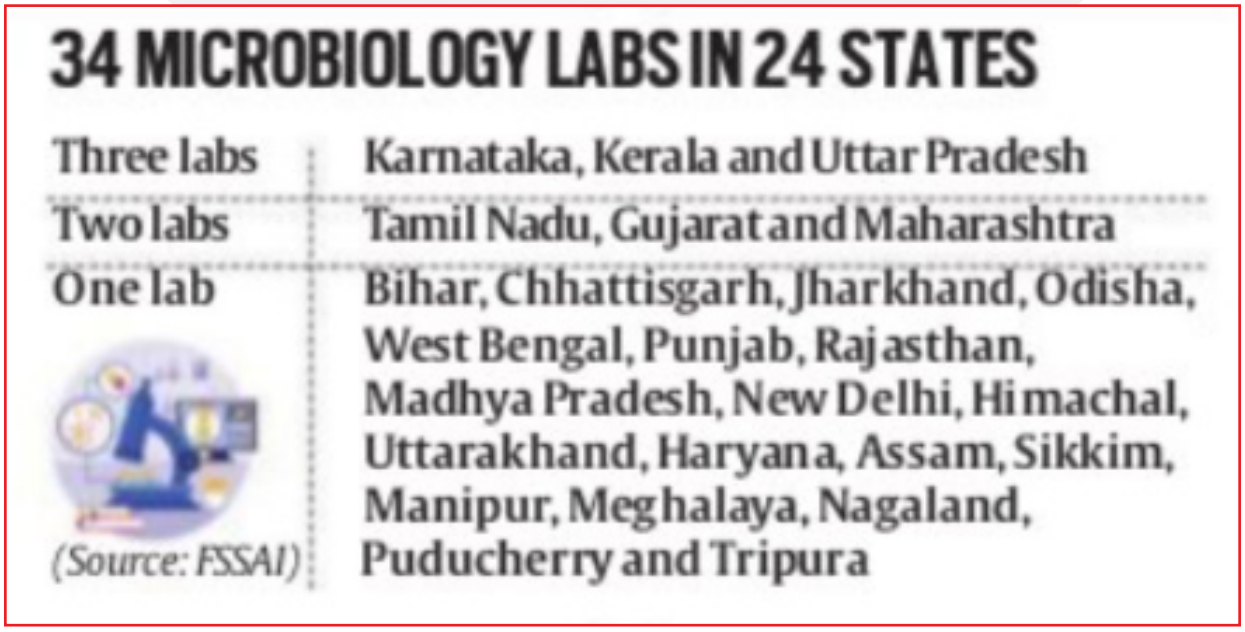

नोट :

- ये प्रयोगशालाएँ भोजन में माइक्रोबियल संदूषण का परीक्षण करने में सहायता करेंगी जिससे भोजन खराब हो सकता है और इससे संभावित स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं।
- साप्ताहिक आधार पर कई बीमारियों की निगरानी करने वाले राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के आँकड़ों के अनुसार, देश में दो सबसे अधिक फैलने वाली घटनाएँ तीव्र दस्त/डायरिया संबंधी बीमारी और खाद्य विषाक्तता थीं।
  - पिछले चार वर्षों में देश भर में तीव्र डायरिया रोग के 1,100 से अधिक मामले और खाद्य विषाक्तता के लगभग 550 मामले सामने आए हैं।
- चूँकि रोगजनकों के परीक्षण के लिये जीवित संदर्भ नमूनों, महँगे अभिकर्मकों और एक सूक्ष्म जीवविज्ञानी के रखरखाव की आवश्यकता होती है, इसलिये देश भर में 79 राज्य खाद्य परीक्षण सुविधाओं में से कोई भी अब ऐसा करने में सक्षम नहीं है।

एस्चेरिचिया कोलाई (E. coli)

- एस्चेरिचिया कोलाई खाद्य पदार्थों है जिसे सामान्यत: ई. कोलाई के नाम से जाना जाता है, मनुष्यों तथा जानवरों की आँत में पाया जाने वाला एक जीवाणु है।
- यह एंटरोबैक्टीरियासी वंश का एक छड़ी के आकार का जीवाणु है।
- यद्यपि ये जीवाणु अधिकांशत: हानिकारक नहीं होते हैं, परंतु इनमें से कुछ 'डायरिया' जैसे रोग का कारण बन सकते हैं जबकि कुछ अन्य के संक्रमण से श्वसन संबंधी बीमारी और निमोनिया जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं।
- रोगजनक एस्चेरिचिया कोलाई दूषित भोजन, जल या संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के मल के संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में फैल सकता है।

सैल्मोनेला (Salmonella)

- यह बैक्टीरिया का एक समूह है जो सैल्मोनेलासिस नामक खाद्य-जनित बीमारियों का कारण बन सकता है।
- सैल्मोनेला बैक्टीरिया सामान्यत: जानवरों और मनुष्यों की आँतों में होते हैं तथा मल के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। मनुष्य अक्सर दूषित जल या भोजन के माध्यम से संक्रमित होते हैं।
- सैल्मोनेला के लक्षणों में संक्रमण होने के 12-72 घंटे बाद मतली, दस्त/डायरिया, बुखार और पेट में ऐंठन शामिल हैं।
- WHO ने सैल्मोनेला को डायरिया संबंधी बीमारियों के चार प्रमुख वैश्विक कारणों में से एक के रूप में पहचाना है।

लिस्टेरिया

- यह जीवाणु प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में मौजूद है और कुछ जानवरों की आँतों के साथ-साथ मिट्टी व जल में भी पाया जा सकता है।
- इसमें फ्लू जैसे लक्षण परिलक्षित होते हैं, जो इसे 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिये विशेष रूप से खतरनाक बनाता है।
- यह बिना पाश्चुरीकृत दूध और डेयरी उत्पादों के साथ-साथ कटे हुए खरबूजे जैसे कुछ पहले से तैयार फलों के सेवन से मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है।

'विवादों का समाधान' पहल के तहत एकमुश्त निपटान योजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य में व्यवसाय संचालन को बढ़ावा देने के लिये 'विवादों का समाधान' पहल के तहत दो नई एकमुश्त निपटान योजनाएँ शुरू कीं।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- ये योजनाएँ हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढाँचा विकास निगम (HSIIDC) की औद्योगिक मॉडल टाउनशिप और औद्योगिक संपदाओं में प्लॉट की लागत तथा बढ़ी हुई लागत के संबंध में प्लॉट (औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय/समूह आवास एवं संस्थागत उपयोग) के खिलाफ संबंधित विरासत मामलों के निपटारे हेतु आवंटन का विकल्प प्रदान करेंगी।
  - इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक भूखंडों के 1,000 से अधिक आवंटियों को लाभ पहुँचाना है।
- सरकार सोनीपत के बरही शहर में 'फूड पार्क' के आवंटियों को एक विशेष रियायत दे रही है, जिससे उन्हें भूखंडों के स्वामित्व को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की अनुमति मिल जाएगी।
- यह एकमुश्त निपटान योजना औद्योगिक भूखंडों/शेडों के साथ-साथ वाणिज्यिक, संस्थागत, आवासीय या समूह आवास भूखंडों या साइटों के सभी मौजूदा आवंटियों पर लागू है, जिन्हें 1 जनवरी 2021 से पहले भूखंड और साइट आवंटित की गई हैं।
- योजना तुरंत लागू होगी और योजना का लाभ उठाने के लिये आवंटियों को 30 जून, 2024 तक आवेदन करना होगा।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढाँचा विकास निगम (HSIIDC)

- इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हरियाणा राज्य द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में की गई थी। यह हरियाणा सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के तत्त्वावधान में कार्य करता है।
- इसके उद्देश्य में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के औद्योगिक बुनियादी ढाँचे का विकास और हरियाणा राज्य में उद्योग के संवर्धन तथा विकास के लिये आवश्यक आवास एवं संबंधित सामाजिक, संस्थागत, मनोरंजन व वाणिज्यिक बुनियादी ढाँचे सहित एकीकृत उद्योग टाउनशिप/पार्क के लिये भूमि का अधिग्रहण करना तथा उन्हें उपयुक्त रूप से विकसित करना शामिल है।

ICAR ने कृषि विज्ञान केंद्रों की स्वर्ण जयंती मनाई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 2024 में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्वर्ण जयंती मनाई है।

मुख्य बिंदु:

- पहला कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) 21 मार्च 1974 को ICAR द्वारा स्थापित किया गया था।
  - वर्तमान में भारत में 731 KVK का नेटवर्क है, जहाँ प्रत्येक KVK 5000 से अधिक किसानों को सेवा प्रदान करता है।
  - KVK नेटवर्क विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि में फैला हुआ है।
- KVK ज़मीनी स्तर पर किसानों के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, बाज़ार की जानकारी और कौशल विकास के लिये एक व्यापक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र(KVK)

- KVK राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) का एक अभिन्न अंग है।
- KVK का अधिदेश इसके अनुप्रयोग और क्षमता विकास के लिये प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा प्रदर्शन है।
- इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, शोधन और प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध उद्यमों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल का मूल्यांकन करना है।
- KVK गुणवत्तापूर्ण तकनीकी उत्पाद (बीज, रोपण सामग्री, जैव-एजेंट, पशुधन) भी उत्पादित करते हैं और इसे किसानों को उपलब्ध कराते हैं।
- KVK योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है और KVK कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों और कृषि में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (NGO) को स्वीकृत हैं।
- KVK प्रयोगशालाओं और कृषि भूमि के बीच एक पुल के रूप में कार्य करते हैं। सरकार के अनुसार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये ये महत्त्वपूर्ण हैं।

नोट :

असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड हेतु निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अगले दो महीनों के भीतर 80 मिलियन प्रवासी और असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड जारी किये जाएं।

मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, शीर्ष न्यायालय ने सरकारों को 80 मिलियन लोगों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया।
  - ये लोग ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं लेकिन उनके पास कार्ड नहीं हैं।
  - न्यायालय ने कहा कि NFSA लाभार्थियों के साथ ई-श्रम पंजीकरणकर्त्ताओं के मिलान की कवायद पहले ही शुरू की जा चुकी है और उस आधार पर यह पाया गया है कि लगभग 80 मिलियन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं।
  - इसलिये, वे अधिनियम के तहत मासिक खाद्यान्न का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि NFSA की धारा 3 में परिभाषित कोटे के बावजूद राशन कार्ड जारी किये जाने चाहिये।
  - **धारा 3:** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों के व्यक्तियों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

- यह खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।
- NFSA में 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी शामिल है:
  - अंत्योदय अन्न योजना: इसमें सबसे गरीब लोग शामिल हैं, जो प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
  - प्राथमिकता वाले परिवार (PHH): PHH श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
- राशन कार्ड जारी करने के लिये परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे बुज़ुर्ग महिला को परिवार का मुखिया होना अनिवार्य है।
- इसके अलावा, अधिनियम 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये विशेष प्रावधान रखता है, जो उन्हें समेकित बाल विकास योजना केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त में पौष्टिक भोजन प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसे आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में जाना जाता है।

ई-श्रम पोर्टल

- इसका लक्ष्य देश भर में 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों, जैसे- निर्माण मज़दूरों, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों को पंजीकृत करना।
- इसके तहत श्रमिकों को एक 'ई-श्रम कार्ड' जारी किया जाएगा, जिसमें 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर शामिल होगा।
- यदि कोई श्रमिक 'ई-श्रम' पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए एवं आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का पात्र होगा।

विश्व कबड्डी दिवस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 24 मार्च को हरियाणा के पंचकुला स्थित ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम में विश्व कबड्डी दिवस मनाया गया।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन (HIPSA) ने विश्व कबड्डी नामक संगठन के साथ मिलकर इस वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया।
- हाल ही में विश्व स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिये HIPSA और हरियाणा सरकार के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (MoU) आयोजन स्थल के रूप में भारत तथा आयोजन के लिये हरियाणा को चुनने के मुख्य कारणों में से एक था।
- हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि थे और गिनीज़ टीम द्वारा राज्यपाल को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।
- गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रयास 'कबड्डी प्रदर्शनी मैच में सर्वाधिक खिलाड़ियों' के लिये था।

विश्व कबड्डी दिवस

- यह दिवस वर्ष 2019 से प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है।
- थीम: पुरुषों द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा परिपूर्ण।
  - इस विषय को महिलाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिये और विश्व स्तर पर कबड्डी के खेल को विकसित करने के लिये HIPSA के साथ हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अनुरूप चुना गया था।

होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन (HIPSA)

- यह एक गैर-लाभकारी कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है। इसका मुख्यालय भारत में है।
- इसका उद्देश्य उन खेलों पर विशेष ध्यान देने के साथ खेल के माध्यम से प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत में बढ़ावा देना और 'एकीकृत' करना है जिन पर भारत को गर्व है।
- क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज, खो-खो, मल्लखंभ, कुस्ती, तीरंदाजी कुछ ऐसे खेल हैं जिनसे हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ है।
- खेल, 'योग एक अभ्यास के रूप में' और 'ज्ञान के लिये संस्कृति' के साथ भविष्य हेतु HIPSA के दृष्टिकोण में निर्धारित समग्र उद्देश्य हैं।

पलवल: बाल जन्म लिंगानुपात में शीर्ष स्थान

चर्चा में क्यों ?

स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में पलवल ज़िला राज्य में 1,000 लड़कों के मुकाबले 946 लड़कियों के सर्वोत्तम बाल जन्म लिंगानुपात के साथ पहले स्थान पर रहा।

- ज़िले के 25 गाँवों ने 1,000 या उससे अधिक बाल जन्म लिंगानुपात हासिल किया है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2022 में यह ज़िला 12वें स्थान पर था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पंचकुला में आयोजित एक समारोह में उपायुक्त को 5 लाख रुपए का नकद इनाम मिला।
- जनवरी और दिसंबर 2023 के बीच ज़िले में कुल 28,989 जन्म दर्ज किये गए।
  - इस अवधि में 14,899 लड़कों के जन्म के मुकाबले लड़कियों की संख्या 14,090 थी, जिससे औसत लिंगानुपात पहली बार 946 के आँकड़े तक पहुँच गया।
- पंचकुला और फतेहाबाद को 942 एवं 934 के अनुपात के साथ क्रमश: दूसरा तथा तीसरा स्थान मिला।
- जहाँ नूंह और गुरुग्राम चौथे एवं पाँचवें स्थान पर रहे, वहीं रोहतक वर्ष 2023 में सिर्फ 883 के आँकड़े के साथ सबसे नीचे रहा।
- पलवल के पड़ोसी ज़िले फरीदाबाद को वर्ष 2023 में 906 के अनुपात के साथ 16वाँ स्थान मिला।
- वर्ष 2023 में राज्य का औसत बाल लिंगानुपात 906 था।
  - बाल लिंगानुपात की गणना 0-6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आधार पर की जाती है।

नोट :

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान

- इसे जनवरी 2015 में लिंग चयनात्मक गर्भपात (Sex Selective Abortion) और गिरते बाल लिंग अनुपात (Declining Child Sex Ratio) को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ था।
- यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।
- यह कार्यक्रम देश के 405 ज़िलों में लागू किया जा रहा है।

'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर' का कॉपीराइट

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने 'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर' के लिये "कॉपीराइट" के अधिकार को हासिल कर लिया है।

- हरियाणा आरटीएस आयोग ने वर्ष 2022 में कॉपीराइट के लिये आवेदन किया था, जिसे 20 मार्च, 2024 को प्रदान किया गया।

मुख्य बिंदु:

- AAS (वर्ष 2021 में लॉन्च) भारत में अपनी तरह का पहला सॉफ्टवेयर है, जिसके कारण शिकायतकर्त्ता को अपील दायर करने के लिये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
- AAS के माध्यम से 27 मार्च 2024 तक कुल 11,70,766 अपीलें दर्ज की गईं, जिनमें से 11,56,595 अपीलों का निपटारा भी कर दिया गया है।
- AAS में अपीलों की निपटान दर 98.8% है।
- हरियाणा अपने नागरिकों को यह सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है।
- कॉपीराइट एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है जो किसी मूल कार्य के निर्माता या किसी अन्य अधिकार धारक को कार्य की प्रतिलिपि बनाने, वितरित करने, अनुकूलित करने, प्रदर्शित करने और प्रदर्शन करने हेतु विशेष तथा कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार प्रदान करता है।

कॉपीराइट

- कॉपीराइट का तात्पर्य साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों के साथ-साथ सिनेमैटोग्राफ फिल्मों तथा ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माताओं को प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा से है।
  - वर्ष 1957 के कॉपीराइट अधिनियम का उद्देश्य इन रचनात्मक कार्यों को उनके रचनाकारों की बौद्धिक संपदा के रूप में सुरक्षित रखना है।
  - पेटेंट के मामले के विपरीत, यह विचारों के बजाय विचारों की अभिव्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है।
  - कॉपीराइट (संशोधन) नियम 2021 को कॉपीराइट के अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप लाने के लिये कार्यान्वित किया गया था।
- कॉपीराइट मालिकों को उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें निषेधाज्ञा, क्षति जैसे उपाय शामिल हैं।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग

- इसका गठन राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई 2014 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया था।
- यह हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 12(1) और (2) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- आयोग में एक मुख्य आयुक्त और अधिकतम चार आयुक्त होते हैं, जो हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करते है।
- HRTS अधिनियम, 2014 लोगों को एक प्रभावी सेवा वितरण तंत्र के माध्यम से परेशानी मुक्त, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से अधिकांश सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार प्रदान करता है।

नोट :

हरियाणा ने PM कुसुम के तहत 24,484 सौर जल पंपों के लिये विजेताओं की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (HAREDA) ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (PM कुसुम) के घटक B के हिस्से के रूप में 24,484 सौर जल पंपिंग सिस्टम के प्रावधान, स्थापना और कमीशनिंग के लिये अनुबंध दिये हैं।

मुख्य बिंदु:

- PM कुसुम का घटक B कृषि सिंचाई उद्देश्यों के लिये दो मिलियन स्वतंत्र सौर जल पंपों की स्थापना पर केंद्रित है।
- यह परियोजना व्यक्तिगत किसानों, जल उपयोगकर्त्ता संघों, पशु आश्रयों, किसान-उत्पादक संगठनों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और समुदाय-आधारित सिंचाई प्रणालियों जैसे कई लाभार्थियों को लक्षित करती है।

PM कुसुम क्या है ?

- **परिचय:**
  - PM-कुसुम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है।
  - यह मांग-संचालित दृष्टिकोण पर कार्य करती है। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) से प्राप्त मांगों के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है।
  - विभिन्न घटकों और वित्तीय सहायता के माध्यम से PM-कुसुम का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक 30.8 गीगावाट की महत्त्वपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करना है।
- **PM-कुसुम का उद्देश्य:**
  - कृषि क्षेत्र का डी-डिजिटलाइज़ेशन: इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा संचालित पंपों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करके सिंचाई के लिये डीज़ल पर निर्भरता को कम करना है। इसका उद्देश्य सौर पंपों के उपयोग के माध्यम से सिंचाई लागत को कम करके और उन्हें ग्रिड को अधिशेष सौर ऊर्जा बेचने में सक्षम बनाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है।
  - किसानों के लिये जल और ऊर्जा सुरक्षा: सौर पंपों तक पहुँच प्रदान करके तथा सौर-आधारित सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देकर, इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिये जल एवं ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है।
  - पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश: स्वच्छ और नवीकरणीय सौर ऊर्जा को अपनाकर इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है।
- **घटक:**
  - घटक-A: किसानों की बंजर/परती/चरागाह/दलदली/कृषि योग्य भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
  - घटक-B: ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 20 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना।
  - घटक-C: 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइज़ेशन: व्यक्तिगत पंप सोलराइज़ेशन और फीडर लेवल सोलराइज़ेशन।

विभिन्न राज्यों के लिये मनरेगा मज़दूरी दरें संशोधित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत मज़दूरी को संशोधित किया गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों के लिये 4 से 10% के बीच बढ़ोतरी की गई है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- इस योजना के तहत अकुशल श्रमिकों के लिये हरियाणा में सबसे अधिक मज़दूरी दर 374 रुपए प्रतिदिन है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में सबसे कम 234 रुपए है।
- इस योजना के तहत वर्ष 2023 मज़दूरी दरों में वृद्धि की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों की गारंटीकृत मज़दूरी रोज़गार प्रदान करना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS)

- **परिचय:** मनरेगा विश्व के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
- **लॉन्च:**
  - इसे 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था।
- **उद्देश्य:**
  - योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देना है।
- **कार्य का कानूनी अधिकार:**
  - पहले की रोज़गार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा का उद्देश्य अधिकार-आधारित ढाँचे के माध्यम से चरम निर्धनता के कारणों का समाधान करना है।
  - लाभार्थियों में कम-से-कम एक-तिहाई महिलाएँ होनी चाहिये।
  - मज़दूरी का भुगतान न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में कृषि मज़दूरों के लिये निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी के अनुरूप किया जाना चाहिये।
- **मांग-प्रेरित योजना:**
  - मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त है, जिसमें विफल होने पर उसे 'बेरोज़गारी भत्ता' प्रदान किया जाता है।
  - यह मांग-प्रेरित योजना श्रमिकों के स्व-चयन (Self-Selection) को सक्षम बनाती है।
- **विकेंद्रीकृत योजना:**
  - इन कार्यों के योजना निर्माण और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ सौंपकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सशक्त करने पर बल दिया गया है।
  - अधिनियम में आरंभ किये जाने वाले कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपा गया है और इन कार्यों को कम-से-कम 50% उनके द्वारा ही निष्पादित किया जाता है।

GST चोरी: 19,690 करोड़ रुपए के फर्ज़ी क्रेडिट दावे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वस्तु और सेवा (GST) चोरी के रूप में फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) दावों में पाए गए मूल्य के मामले में दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा।

नोट :

मुख्य बिंदु

- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 (जनवरी तक) में भारत में फर्ज़ी ITC दावों के लिये कुल 1,999 मामले दर्ज किये गए हैं, जिसमें 19,690 करोड़ रुपए की राशि शामिल हैं।
- FY24 (जनवरी तक) में फर्ज़ी ITC दावों में शामिल राशि FY23 में 1,940 मामलों में पाए गए 13,175 करोड़ रुपए से 49% अधिक है।
- आँकड़ों के अनुसार, मूल्य निर्धारण के मामले में हरियाणा और दिल्ली 10,851 करोड़ रुपए की राशि के साथ शीर्ष पर रहे। चालू वित्त वर्ष में GST के तहत फर्ज़ी ITC दावों में पकड़ी गई कुल 19,690 करोड़ रुपए की राशि में हरियाणा और दिल्ली की हिस्सेदारी 55% है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट

- यह वह कर है जो कोई व्यवसाय किसी खरीदारी पर चुकाता है और इसका उपयोग वह बिक्री करते समय अपनी कर देनदारी को कम करने के लिये कर सकता है।
- इसका अर्थ है कि आउटपुट पर कर का भुगतान करते समय, कोई व्यक्ति इनपुट पर पहले से भुगतान किये गए कर को कम कर सकता है और शेष राशि का भुगतान कर सकता है।
- **अपवाद:** GST कंपोजीशन स्कीम के तहत कोई व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकता है। व्यक्तिगत उपयोग या छूट प्राप्त वस्तुओं के लिये ITC का दावा नहीं किया जा सकता है।

GST काउंसिल

- अनुच्छेद 279A - GST के प्रशासन और संचालन के लिये राष्ट्रपति द्वारा GST परिषद का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और राज्य सरकारों द्वारा नामित मंत्री इसके सदस्य हैं।
- परिषद को इस तरह से तैयार किया गया है कि केंद्र के पास 1/3 मतदान शक्ति होगी और राज्यों के पास 2/3 मतदान शक्ति होगी।
- निर्णय 3/4 बहुमत से लिये जाते हैं।

✦ ✦ ✦ ✦

The Vision

नोट :